न्यायालय तहसीलदार, माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा (राज0)

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी R.T.S. तहसीलदार माण्डलगढ

प्रकरण संख्या 02/2021
दायर दिनांकः 01.02.2021

उनवान

मोतीलाल पिता देवा रेगर निवासी गेणोली तहसील माण्डलगढ

प्रार्थी

बनाम

भँवरलाल पिता मोतीलाल स्वर्णकार निवासी माण्डलगढ जिला भीलवाडा

अप्रार्थीगण

अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251

निर्णय दिनांकः 05.02.2021

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थी मोतीलाल पिता देवा रेगर निवासी गेणोली तहसील माण्डलगढ ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की ग्राम गेणोली स्थित खातेदारी भूमि के आराजी नं. 176 रकबा 02 बीघा अर्थात 0.3237 है0 भूमि स्थित है तथा उक्त भूमि चाह नं. 174 से स्थित से सिंचित है। चाह नम्बर 174 पर जाने के लिए अप्रार्थी को भँवरलाल पिता मोतीलाल स्वर्णकार निवासी माण्डलगढ के खेत मे से होकर जाना पडता है जिसका उपयोग विगत काफी वर्षो से करता आ रहा हूँ। वर्तमान मे अप्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते को बन्द करने के कारण प्रार्थी को आचा पर जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड रहा है अत. प्रार्थी के आचा पर आने जाने के लिए उक्त रास्ते का खुलासा करवा राहत प्रदार करें। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251 के तहत दर्ज किया जाकर अप्रार्थी भँवरलाल पिता मोतीलाल स्वर्णकार निवासी माण्डलगढ को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं भू–अभिलेख निरीक्षक, माण्डलगढ व पटवारी हल्का गेणोली को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

भू–अभिलेख निरीक्षक माण्डलगढ ने दिनांक 04.02.2021 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि ग्राम गेणोली की आराजी नं. 174 गे.मू. आचा प्रार्थी व अप्रार्थी के सह खातेदारी हक मे रिकार्ड दर्ज है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि आराजी नं. 177 पर सिचाई हेतु पानी लाने एवं उक्त आचा पर आने जाने के लिए अप्रार्थी की खातेदारी भूमि आराजी नं. 175 मे होकर जाना पडता है। अप्रार्थी की आराजी नं. 175 के दक्षिणी–पश्चिमी कोने पर एक लोहे की फाटक लगी हुई है जिस पर अप्रार्थी का ताला लगा रहता है। प्रार्थी को कुंए पर जाने के लिए व सिचाई हेतु पाईप लगाने हेतु अप्रार्थी द्वारा अपनी आराजी नं. 175 मे होकर जाने के लिए इनकार किया जाता है जबकि शामलाती कुंए पर प्राथी व अप्रार्थी दोनो की विद्युत मोटर लगी हुई है। वर्तमान मे प्रार्थी के कुंए पर जाने वाले रास्ते पर अप्रार्थी द्वारा लोहे की फाटक पर ताला लगा कर बन्द किया हुआ है। मौका रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई।

दिनांक 05.02.2021 को अप्रार्थी भँवरलाल पिता मोतीलाल स्वर्णकार निवासी माण्डलगढ ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि ग्राम गेणोली के आराजी नं. 174 गे.मू. आचा पर जाने हेतु कदीमी रास्ता जो वर्षो से चला आ रहा है तथा विपक्षी मोतीलाल पिता देवा रेगर ने नाजायज ही उक्त रास्ते को बन्द कर दिया गया है उक्त आराजी नं. 175 प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। विपक्षी मोतीलाल पिता देवा रेगर का उक्त

तहसीलदार माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner

पर पूर्व से ही कोई हक अधिकार नही है केवल मात्र प्रार्थी को जलील व परेशान करने के लिए जबरन आराजी नं. 174 के रास्ते को बन्द कर दिया जबकि मौके पर रास्ता खुलासा है प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप निराधार होकर बेबुनियाद है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करना फरमावें। जवाब प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया।

मेरे द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रार्थी व अप्रार्थी की बहस सुनी गई। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित किया कि आराजी नं 174 गै.मू. आवा पर जाने हेतु कदीमी रास्ता वर्षो से चलना स्वीकार किया है। भू–अभिलेख निरीक्षक माण्डलगढ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी ने आराजी नं. 175 के दक्षिणी–पश्चिमी कोने पर लगी लोहे की फाटक पर ताला लगाकर प्रार्थी के शामलाती कुए पर आने जाने वाले कदीमी रास्ते को बन्द कर दिया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्याय संगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251 के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की सहखातेदारी ग्राम गेणोली पटवार हल्का गेणोली स्थित आराजी नं. 174 गै.मू. आवा पर आने जाने के लिए एवं सिंचाई हेतु पानी के पाईप लगाने हेतु अप्रार्थी की आराजी नं. 175 के दक्षिणी–पश्चिमी कोने पर लगी लोहे की फाटक पर अप्रार्थी द्वारा लगाये गये ताले को खुलवा कर 175 की दक्षिणी मेड पर विद्यमान कदीमी रास्ते को खुलासा करने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की पालना हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक माण्डलगढ एवं पटवारी हल्का गेणोली को पृथक से लिखा जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

तहसीलदार माण्डलगढ़
(सुरेन्द्र सिंह चौधरी)
तहसीलदार माण्डलगढ

Scanned with CamScanner

न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा (राज0)

क्रमांक / न्याय / 2021 / प्रकरण संख्या 02 / 2021 दिनांक 06.02.2021

प्रेषिति,

(1) भू–अभिलेख निरीक्षक माण्डलगढ

(2) पटवारी हल्का गेणोली

विषयः– अन्तर्गत प्रार्थना पत्र धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रकरण संख्या 02 / 2021 उनवान मोतीलाल पिता देवा रेगर निवासी गेणोली तहसील माण्डलगढ बनाम भॅवरलाल पिता मोतीलाल स्वर्णकार निवासी माण्डलगढ मे पारित निर्णय की पालना करने बाबत।

––000––

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि न्यायालय के प्रकरण संख्या 02 / 2021 उनवान मोतीलाल पिता देवा रेगर निवासी गेणोली तहसील माण्डलगढ बनाम भॅवरलाल पिता मोतीलाल स्वर्णकार निवासी माण्डलगढ मे दिनांक 05.02.2021 को निर्णय पारित किया गया है। निर्णय अनुसार प्रार्थी की ग्राम गेणोली पटवार हल्का गेणोली स्थित आराजी नं. 174 गे.मु. आना पर आने जाने के लिए एवं सिचाई हेतु पानी के पाईप लगाने हेतु अप्रार्थी की आराजी नं. 175 के दक्षिणी–पश्चिमी कोने पर लगी लोहें की फाटक पर अप्रार्थी द्वारा लगाये गये ताले को खुलवा कर 175 की दक्षिणी मेड पर विद्यमान कदीमी रास्तो को खुलासा करने का आदेश दिया जाता है। पालना रिपोर्ट अविलम्ब इस न्यायालय मे प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– निर्णय की प्रति

तहसीलदार माण्डलगढ
तहसीलदार माण्डल...

Scanned with CamScanner